

	मे यथारथान पर अपलोड करे।	अपलोड करा दिया गया है।																	
5	<p>प्रस्ताव मे आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष 832 हे० अवनत वन भूमि पर 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्रावकलन संलग्न है, जिसमे वृक्षारोपण हेतु धनराशि रु० 11,24,61,440/- का उल्लेख है तथा यह धनराशि भाग-2 मे भी अपलोड की गयी है, किन्तु आपके एवं प्रभागीय वनाधिकारी के पूर्व पत्र मे प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सी०ए० की धनराशि रु० 11,26,01,425/- अवशेष की जाने वाली धनराशि के रूप मे बताया गया है। प्रस्ताव मे संलग्न प्रावकलन एवं ऑनलाइन भाग-2 मे अपलोड की गयी धनराशि से यह धनराशि भिन्न होने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वास्तव मे प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रकरण मे सी०ए० हेतु कितनी धनराशि जना की जानी होगी। अतः प्रावकलन मे स्पष्ट उल्लेख करते हुये सही प्रावकलन प्रस्ताव मे संलग्न करे तथा ऑनलाइन भाग-2 मे धनराशि सहित अपलोड करे।</p>	<p>1- इस बिन्दु के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी रेनकूट द्वारा अवगत कराया है कि, प्रस्तावत प्रकरण मे प्रभावित 555.759 हे० वन भूमि के दुगने अवनत वन भूमि $555.759 \times 2 = 1111.518$ हे० या 1112.00 हे० अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण कार्य किया जाना प्रस्तावित है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र० सं०</th> <th>विवरण</th> <th>क्षेत्रफल (हे०मे)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>वर्ष 1999 मे सम्पादित किये गये वनीकरण कार्य का क्षेत्रफल (हे०मे)</td> <td>280.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>क्षतिपूरक वनीकरण हेतु वर्तमान मे प्रस्तावित 188.241 हे० + 643.759 हे० =</td> <td>832.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>कुल योग-</td> <td>1112.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>2- उक्त 1112 हे० अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण कार्य किये जाने हेतु जमा की जाने वाली निर्धारित धनराशि एवं पूर्व मे जमा धनराशि तथा जमा धनराशि को समायोजित करने के उपरान्त वर्तमान मे जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:-</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1112 हे० अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु जमा की जाने वाली निर्धारित धनराशि एवं पूर्व मे जमा धनराशि तथा जमा धनराशि को समायोजित करने के उपरान्त वर्तमान मे जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:-</td> <td>1112 हे० वन पर वनीकरण कार्य करने हेतु कालम संख्या-1 मे निर्धारित धनराशि रु० 150309040/- पर वर्ष 1999 मे से कालम संख्या-2 पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा रु० 32738115 अकित 280, 508 हे० वन भूमि पर वर्ष 1999 मे जिससे किया गया 1999 मे सम्पादित किये गये वनीकरण वर्ष 1999 मे कार्य पर वर्य धनराशि रु० 4969500/- घटाने के उपरान्त रु० 14,53,39,540/- कैम्पा मद मे जमा किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित धनराशि रु० 145339540/- रु० 32738115(का)</td> </tr> </tbody> </table>	क्र० सं०	विवरण	क्षेत्रफल (हे०मे)	1	2	3	1	वर्ष 1999 मे सम्पादित किये गये वनीकरण कार्य का क्षेत्रफल (हे०मे)	280.00	2	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु वर्तमान मे प्रस्तावित 188.241 हे० + 643.759 हे० =	832.00		कुल योग-	1112.00	1112 हे० अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु जमा की जाने वाली निर्धारित धनराशि एवं पूर्व मे जमा धनराशि तथा जमा धनराशि को समायोजित करने के उपरान्त वर्तमान मे जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:-	1112 हे० वन पर वनीकरण कार्य करने हेतु कालम संख्या-1 मे निर्धारित धनराशि रु० 150309040/- पर वर्ष 1999 मे से कालम संख्या-2 पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा रु० 32738115 अकित 280, 508 हे० वन भूमि पर वर्ष 1999 मे जिससे किया गया 1999 मे सम्पादित किये गये वनीकरण वर्ष 1999 मे कार्य पर वर्य धनराशि रु० 4969500/- घटाने के उपरान्त रु० 14,53,39,540/- कैम्पा मद मे जमा किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित धनराशि रु० 145339540/- रु० 32738115(का)
क्र० सं०	विवरण	क्षेत्रफल (हे०मे)																	
1	2	3																	
1	वर्ष 1999 मे सम्पादित किये गये वनीकरण कार्य का क्षेत्रफल (हे०मे)	280.00																	
2	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु वर्तमान मे प्रस्तावित 188.241 हे० + 643.759 हे० =	832.00																	
	कुल योग-	1112.00																	
1112 हे० अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु जमा की जाने वाली निर्धारित धनराशि एवं पूर्व मे जमा धनराशि तथा जमा धनराशि को समायोजित करने के उपरान्त वर्तमान मे जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:-	1112 हे० वन पर वनीकरण कार्य करने हेतु कालम संख्या-1 मे निर्धारित धनराशि रु० 150309040/- पर वर्ष 1999 मे से कालम संख्या-2 पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा रु० 32738115 अकित 280, 508 हे० वन भूमि पर वर्ष 1999 मे जिससे किया गया 1999 मे सम्पादित किये गये वनीकरण वर्ष 1999 मे कार्य पर वर्य धनराशि रु० 4969500/- घटाने के उपरान्त रु० 14,53,39,540/- कैम्पा मद मे जमा किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित धनराशि रु० 145339540/- रु० 32738115(का)																		

निर्धारित धनराशि (ल०मे०)	प्रभाग में जमा किया गया जिससे वनीकरण वर्ष 1999 में कार्य प्रभाग द्वारा वृक्षारोपण कार्य किया गया।	किया गया जिससे वनीकरण कार्य पर व्यवहारित वृक्षारोपण कार्य किया गया।	1999 में सम्पादित किये गये वनीकरण कार्य पर व्यवहारित धनराशि रु० 4969500/- धटाने के उपरान्त रु० 14,53,39,540/- कैम्पा मद में जमा किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित धनराशि रु० 145339540-रु० 32738115(का लम संख्या-३ के अनुसार जमा धनराशि) = रु० 112601425 कैम्पा मद में जमा किया जाना प्रस्तावित है जिससे कुल ४३२ है० अवनत वन भूमि पर वनीकरण कार्य किया जायेगा।
1	2	3	4
15,03,09,040.00	49,69,500.00	3,27,38,115.00	11,26,01,425.00

7 प्रकरण में प्रारम्भ से लेकर अब तक का विन्दुवार क्रमिक इतिहास सुसंगत अभिलेखो सहित प्रस्ताव में संलग्न करे।

इस विन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अद्यगत कराया है कि, प्रारम्भ से लेकर अब तक का विन्दुवार क्रमिक इतिहास सुसंगत अभिलेखो सहित प्रस्ताव में संलग्न करा दिया गया है।

8 उपरोक्त इकित कमियो का निराकरण कर पूर्ण प्रस्ताव की एक पी०डी०एफ० फाइल पैनड्राइव में अपलोड कर तीनो प्रस्ताव में संलग्न करे।

इस विन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अद्यगत कराया है कि, प्रस्ताव में इकित कमियो का निराकरण करते हुए प्रस्ताव की एक पी०डी०एफ० फाइल पैनड्राइव में अपलोड कर तीनो प्रस्ताव में अलग-अलग पैनड्राइव संलग्न करा दिया गया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा प्रश्नगत विन्दु की प्रेषित आख्या एतदसह संलग्न कर आवश्यक अर्थात् कार्यवाही हेतु प्रेषित।
संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(रमेश वन्न झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

संख्या- ४३६९ /अ/ समदिनांक।

प्रतिलिपि— प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट को उनके कार्यालय पत्रांक-4314/रेनुकूट/15-6
दिनांक 23.06.2023 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन सरकार
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।



	(रु०मे०)	वर्ष 1999 में प्रभाग द्वारा वृक्षारोपण कार्य किया गया ।	वनीकरण कार्य सम्पादित नहीं किया गया ।	गये वनीकरण कार्य पर व्यय धनराशि रु० 4969500/- घटाने के उपरान्त रु० 14,53,39,540/- कैम्पा मद मे जमा किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित धनराशि रु० 145339540- रु० 32738115(का लम संख्या- 3 के अनुसार जगा धनराशि) = रु० 112601425 कैम्पा मद मे जमा किया जाना प्रस्तावित है जिससे कुल 832 हेठो अवनत बन भूमि पर वनीकरण कार्य किया जायेगा ।
	1	2	3	4
	15,03,09,040. 00	49,69,500. 00	3,27,38,115 .00	11,26,01,425 .00
7	प्रकरण मे प्रारम्भ से लेकर अब तक का बिन्दुवार क्रमिक इतिहास सुसंगत अभिलेखो सहित प्रस्ताव मे संलग्न करे ।	इस बिन्दु के अनुपालन मे अवगत कराना है कि , प्रारम्भ से लेकर अब तक का बिन्दुवार क्रमिक इतिहास सुसंगत अभिलेखो सहित प्रस्ताव मे संलग्न करा दिया गया है ।		
8	उपरोक्त इकित कमियो का निराकरण कर पूर्ण प्रस्ताव की एक पी०डी०एफ० फाइल पेनड्राइव मे अपलोड कर तीनो प्रस्ताव मे संलग्न करे ।	इस बिन्दु के अनुपालन मे अवगत कराना है कि , प्रस्ताव मे इकित कमियो का निराकरण कराते हुए प्रस्ताव की एक पी०डी०एफ० फाइल पेनड्राइव मे अपलोड कर तीनो प्रस्ताव मे अलग-अलग पेनड्राइव संलग्न करा दिया गया है ।		

संलग्नक: उपरोक्तानुसार ।

८१७१-५

८१७१-५

संख्या— अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपि : उप नहाप्रबन्धक(मा०स०) एन०टी०पी०सी० रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, रिहन्दनगर, वीजपुर जिला-सोनभद्र को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि आप ख्यां या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उल्लं प्रस्ताव के ख्यांकृति के संबंध में उच्च स्तर पर सम्पर्क स्थापित करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करे ।

५८३४
३३
३०८०

भवदीय

(ख्यांत्र कुमार श्रीवास्तव)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

(ख्यांत्र कुमार श्रीवास्तव)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

